आईपीसी की धारा 304 बी और साक्ष्य अधिनियम की 113 बी के तहत दहेज मृत्यु

विषय – सूची

1 परिचय
2 दहेज मृत्यु
2.1 आवश्यक सामग्री
3. दहेज की मांग की
3.1 दहेज की मांग करने के लिए विभिन्न कारण
3.1.1 परंपरा के नाम पर
3.1.2 दूल्हे के परिवार वाले दहेज मांगते हैं
3.1.3 यह सोचकर कि इससे समाज में प्रतिष्ठा बनेगी
3.1.4 निरक्षरता
3.2 क्या दहेज हत्या एक जमानती और संज्ञेय अपराध है?
3.3 निर्णय विधि
3.3.1 30 अगस्त 1995 को हिमाचल प्रदेश बनाम निक्कू राम एंड ऑर्सेस
3.3.2 पवन कुमार और 9 फरवरी 1998 को हरियाणा राज्य बनाम
3.3.2.1 तथ्य
3.3.2.2 मुद्दा
3.3.2.3 निर्णय
4. क्रूरता
4.1. अनिवार्य
4.2. निर्णय विधि
4.2.1. 2 जुलाई 2014 को पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह
5. प्रावधान और इसकी संवैधानिकता का दुरुपयोग
5.1. सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ और 19 जुलाई 2005 को
6. दहेज मृत्यु के रूप में अनुमान

S.K.NIMESH

7. निष्कर्ष

8. संदर्भ

परिचय

पुराने समय से हमने महिलाओं के खिलाफ कई अपराध देखे हैं, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और ऐसा ही एक अपराध दहेज हत्या है। हम सभी ने दहेज की मांग को लेकर एक महिला की मौत से जुड़े कई मामले सुने होंगे। यह उस समाज के लिए बहुत ही अपमानजनक है जहां एक महिला दहेज नहीं दे पाने के कारण मर जाती है और बहुत शर्मनाक भी है जहां दहेज का अब भी चलन है।

दहेज मृत्यु में परिभाषित किया गया है धारा 304B भारतीय दंड संहिता की, 1860 इसके अलावा धारा 113B दहेज मृत्यु के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 राज्यों अनुमान की।

दहेज मृत्यु

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है या यह पता चला है कि उसकी शादी से पहले वह अपने पति या पति के किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के संपर्क में थी। दहेज मांगने का संबंध तब महिला की मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा।

दहेज हत्या के लिए सजा सात साल के कारावास की न्यूनतम सजा या आजीवन कारावास की अधिकतम सजा है।

आवश्यक सामग्री

मृत्यु जलने या शारीरिक चोट लगने या किसी अन्य परिस्थिति से हो सकती है शादी के सात साल के भीतर मृत्यु होनी चाहिए।

यह पता होना चाहिए कि उसकी शादी से पहले ही वह अपने पति या किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के संपर्क में थी।

उस पर क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए।

दहेज की मांग की

S.K.NIMESH

के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 जो कहता है कि दहेज के लिए किसी भी संपत्ति या बहुमूल्य वस्तु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप सहमति दर-दिए जाने की है

(ए) एक पार्टी द्वारा दूसरी शादी को एक पार्टी को शादी के लिए; या

(ख) या तो पार्टी के माता-पिता द्वारा विवाह करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या तो शादी के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को, या उससे पहले या किसी भी समय शादी के बाद पार्टी के लिए।

दहेज की मांग करने के लिए विभिन्न कारण

युगों से हमने दहेज की मांग को देखा है लेकिन दहेज की मांग को रोकने के लिए समाज द्वारा इसे ठीक से समझा जाना चाहिए ताकि यह इसके अभ्यास को रोक सके।

इसके विभिन्न कारण हैं-

परंपरा के नाम पर

हमने देखा होगा कि लोग इसे एक परंपरा या रीति-रिवाज से होने वाले विवाह में कहते हैं। परंपरा के नाम पर जिसे दुल्हन के परिवार को पालन करना पड़ता है, वह दूल्हे के परिवार को कीमती सामान देता है।

दूल्हे के परिवार वाले दहेज मांगते हैं

दूल्हे का परिवार स्वेच्छा से यह कहकर दहेज मांगता है कि उनके बेटे को एक अच्छी नौकरी में रखा गया है और उनकी बहुत प्रतिष्ठा है आदि।

यह सोचकर कि इससे समाज में प्रतिष्ठा बनेगी

पहले लोगों में एक पूर्व धारणा थी कि दहेज देने से समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा बनेगी। समय के साथ यह समाज में एक दिखावा अवधारणा बन गया और लोगों ने दूसरों के साथ इसकी तुलना करना शुरू कर दिया।

निरक्षरता

अविकसित क्षेत्रों में, साक्षरता दर बहुत कम है और लोग दहेज से संबंधित कानूनों से अनजान हैं, जिसके कारण अन्य लोगों द्वारा दहेज की मांग बढ़ गई है।

S.K.NIMESH

हालांकि एक अविकसित क्षेत्र में साहित्यकारों द्वारा दहेज का भी प्रचलन है, लेकिन उन्हें कानूनों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

क्या दहेज हत्या एक जमानती और संज्ञेय अपराध है?

जमानती अपराध- ऐसे अपराध जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के लिए अदालत से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करके गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है और पुलिस उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकती।

संज्ञेय अपराध- अपराध जिसमें पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है और एफआईआर दर्ज करके मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति के साथ जांच शुरू करने का अधिकार है।

दहेज हत्या एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है।

द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 41 के अनुसार , 1973 में पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए, एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत से संतुष्ट हों और सीआरपीसी की धारा 41 के सभी प्रावधानों को पूरा करें।

निर्णय विधि

30 अगस्त 1995 को हिमाचल प्रदेश बनाम निक्कू राम एंड ऑर्सेस

इस मामले में, युगल विवाहित थे और उनके विवाह के 5-6 महीने बाद, पति, भाभी और सास ने कम दहेज लाने के लिए पति की पत्नी को ताना देना शुरू कर दिया। वे उससे कई चीजें मांगने लगे जो उसके द्वारा पूरी नहीं की गई थी। अभियोजक ने मृतक को यातना देने के लिए मामला दर्ज किया और उसे अधिक दहेज लाने के लिए क्रूरता के अधीन किया।

धीरे-धीरे उस पर अत्याचार इतना बढ़ गया कि सास ने उसके माथे पर धारदार ब्लेड से प्रहार कर दिया जिससे वहां गहरा कट लग गया।

वह अपने पति द्वारा और उसके ससुराल वालों द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पा रही थी, परिणामस्वरूप, उसने नेफ़थलीन गोली का सेवन करके आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु हो गई।

जांच के दौरान, तेज धार वाला ब्लेड बरामद किया गया था और जांच पूरी होने के बाद भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 304, बी , 306 और 498-ए के तहत पति, भाभी और सास को आरोपित किया गया था। और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने सभी सबूतों की जांच करने के बाद, यह ठहराया था कि जिन लोगों पर धारा 304-बी, 306 और 498-ए के तहत आरोप लगाए गए हैं, वे इन आपराधिक आरोपों से मुक्त होंगे क्योंकि अभियोजन उनके और केवल सास के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा। कानून को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत

S.K.NIMESH

दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि स्वेच्छा से उसकी बहू को चोट लगी है। और रुपये का जुर्माना लगाया। 3,000, जुर्माना भरने में विफल रहने पर 1 महीने के लिए साधारण कारावास होगा।

पवन कुमार और 9 फरवरी 1998 को हरियाणा राज्य बनाम

तथ्य

अपीलकर्ता नंबर 1 पति और उसकी मृतक पत्नी उर्मिल है। वे कुछ समय बाद सोनीपत (हरयाना) शिफ्ट हो गए।

उर्मिल अपनी शादी के कुछ दिनों के भीतर अपने माता-पिता के घर वापस आ गई और उसने रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि के लिए दहेज की माँगों के बारे में शिकायत की। उसने माँगें पूरी नहीं कीं और अपीलकर्ताओं द्वारा उस पर टिप्पणी करने पर उसे यातना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जैसे बदसूरत लग रही है आदि। अपीलकर्ताओं द्वारा इस तरह की टिप्पणियों और तानों के परिणामस्वरूप, उसने आग लगा कर आत्महत्या कर ली।

आरोपी के खिलाफ उसके पति, ससुर और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि यहाँ कोई अपराध नहीं है क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी की आवश्यक सामग्री को पूरा नहीं करता है और यह भी कोई सबूत नहीं पाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में किसी भी तरह से क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था।

मुद्दा

क्या उसके साथ उसकी मृत्यु से पहले दहेज़ की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था

चाहे एक रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि के लिए मांग की अधिग्रहण करने की इच्छा हो या दहेज की मांग हो।

निर्णय

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एक रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि प्राप्त करने की इच्छा केवल दहेज की मांग के दायरे में नहीं आना चाहिए और इसे अपराध के रूप में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह दहेज की धारा 2 के तहत दहेज की परिभाषा के तहत नहीं आएगा। निषेध अधिनियम, 1961 धारा 304 बी और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के साथ।

यह न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि दहेज की मांग स्वयं धारा 304 बी के तहत एक अपराध है और इसके तहत अपराध होना जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक समझौता आवश्यक रूप से मौजूद होना चाहिए।

अदालत ने उसे धारा 498 ए के तहत दोषी ठहराया और उसके लुक पर टिप्पणी पारित करके उसे क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया और उसे अधिक दहेज लाने के लिए ताना भी दिया।

धारा 304 बी के तहत पवन कुमार अपीलार्थी नंबर 1 को 7 साल के कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई और 6 महीने के लिए जुर्माना अदा करने की सूरत में उसे जेल में डाल दिया जाएगा।

S.K.NIMESH

और 306 IPC के तहत को 4 साल के कठोर कारावास और 200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और भुगतान के डिफ़ॉल्ट में 3 महीने की कैद में उसे भी शामिल किया जाएगा और धारा 498A के तहत उसे दोषी ठहराया और उसे 2 साल के सश्रम कारावास और 200 रु। डिफ़ॉल्ट रूप से अधिक 3 महीने के कारावास में जुर्माने को जोड़ा जाएगा।

सभी वाक्य एक साथ चलने चाहिए।

अपीलार्थी नंबर 2 और अपीलकर्ता संख्या 3 ने अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ दिया और उन्हें बरी कर दिया।

क्रूरता

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्रूरता को परिभाषित करती है।

अगर कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें इस धारा के तहत दंडनीय ठहराया जाएगा।

सजा में तीन साल की कैद होगी और जुर्माना भरने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अनिवार्य

किसी महिला पर किसी भी तरह का अत्याचारपूर्ण व्यवहार उसकी चोट का कारण बनता है या उसे आत्महत्या के लिए उकसाता है।

अपनी गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए एक महिला या उसके किसी रिश्तेदार को परेशान करना।

निर्णय विधि

2 जुलाई 2014 को पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह

इस मामले में, 'सापेक्ष' शब्द का विश्लेषण किया गया था।

प्रतिवादी गुरमीत सिंह पर आईपीसी की धारा 304 बी के तहत आरोप लगाया गया था कि वह परमजीत सिंह की पत्नी गुरजीत कौर की मौत का कारण है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उस पर धारा 304 बी के अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह मृतक का रिश्तेदार नहीं है।

प्रतिवादी परमजीत की चाची का भाई था और यह नहीं कहा जा सकता कि वह मृतक के पति का रिश्तेदार है।

S.K. NIMESH

अदालत द्वारा आयोजित किया गया था कि उस पर धारा 304 बी के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वह रक्त, गोद लेने या मृतक के पति की शादी से संबंधित नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि अपराध के लिए उस पर अन्य धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

धारा 498 ए इसकी परिभाषा में रिश्तेदार के बारे में बात करती है और इस मामले से, इसने 'रिश्तेदार' शब्द का विश्लेषण किया है और इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो रक्त, गोद लेने या शादी से रिश्तेदार है, वह अन्य रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आएगा और इसे अभियोजित नहीं किया जा सकता है धारा 304 बी के तहत दोषी नहीं है, लेकिन अन्य धारा के तहत दोषी ठहराया जा सकता है अगर उन्होंने कोई अन्य अपराध किया है।

प्रावधान और इसकी संवैधानिकता का दुरुपयोग

अपने स्वयं के मकसद के लिए या पति के परिवार को यातना देने के लिए प्रावधान के दुरुपयोग में कई फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं को उस स्वयं की धारा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जो उसकी रक्षा के लिए बनाई गई है। हालांकि, प्रावधान का दुरुपयोग करने की एक मात्र संभावना प्रावधान को अमान्य नहीं करना चाहिए। इसलिए धारा 498 ए संवैधानिक है।

सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ और 19 जुलाई 2005 को

इस मामले में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए की वैधता को असंवैधानिक करार दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अपराध महिलाओं को दहेज के खिलाफ संरक्षण देने के लिए किया गया है न कि इसे एक निर्दोष परिवार के सदस्यों के खिलाफ हथियार के रूप में दुरुपयोग करने के लिए।

इस मामले में, यह है कि यदि महिला इस प्रावधान का दुरुपयोग करती है तो क्या निवारक उपाय किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच एजेंसियों और अदालतों को मामले का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए और यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति दोषी हैं। उन्हें दहेज से संबंधित मामले में प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करना चाहिए।

वह यह भी कहता है कि जांच एजेंसियों और अदालतों को बनाए गए कानूनों की रक्षा करनी चाहिए और किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी के द्वारा लगाए गए निराधार और बुरे आरोपों का शिकार नहीं होने देना चाहिए। अदालत ने उनकी अपील में कोई सामग्री नहीं पाई और रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि क्या वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं जिसके लिए उन पर आरोप लगाया जाता है कि वह मुकदमे में ऐसा कर सकते हैं।

दहेज मृत्यु के रूप में अनुमान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी में दहेज मृत्यु के रूप में अनुमान के बारे में बताया गया है। यदि किसी महिला की दहेज की मांग के संबंध में मृत्यु हो जाती है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु के तुरंत पहले उसे किसी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न या क्रूरता के अधीन किया गया था। तब अदालत ऐसे व्यक्ति को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मान लेगी।

निष्कर्ष

S.K.UMESH

एक तथाकथित परंपरा के नाम पर दहेज प्रथा भारत में हर जगह विद्यमान है चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी। दहेज प्रथा के खतरे समाज में बहुत नीचे तक पहुंच गए हैं। इतने सारे प्रावधान करने के बावजूद दहेज की मांग का अभ्यास अभी भी बंद नहीं हुआ है। सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, लेकिन अभी भी इसे समाज से पूरी तरह नहीं मिटा सकती है। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए समाज के लोगों को समझना होगा कि यह गलत है।

समाज में सख्त कानूनों को लागू करने से इसे नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन समाज में कानूनों की गैर-कानूनीता और परिवारों से कोई समर्थन नहीं मिलने के कारण इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगर लड़की अपने माता-पिता से शिकायत करती है कि वह पति के परिवार द्वारा किए गए अत्याचार का सामना करती है, तो लड़की के माता-पिता इसे प्रकाश में लाने के बजाय समझौता करने का विकल्प चुनते हैं। समाज के कानून और समर्थन मिलकर इस मुद्दे को हल कर सकते हैं।

संदर्भ

1. http://www.aaptaxlaw.com/IPC/section-304b-ipc-dowry-death-punishment-for-dowry-death-sec-304b-of-indian-penal-code-1860.html
2. http://www.legalserviceindia.com/legal/article-1245-dowry-and-dowry-death.html
3. http://lightheminds.com/causes-of-dowry-system-social-effects-and-how-to-stop/
4. https://devgan.in/ipc/section/304B/
5. https://indiankanoon.org/doc/981147/

S.K.NIMESH